

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2

संख्या-1978/v-2-2017-06(आ0)/2016

देहरादून: दिनांक 24 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मेट्रो रेल पालिसी के प्राविधानों के अनुसार नगरीय यातायात के एकीकृत नियोजन एवं प्रबंधन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि० के सन्दर्भ में शहर के कम्प्रीहेन्सिव मोबेलिटी प्लान, शहरी यातायात सुविधाओं हेतु नियोजित वित्तीय संसाधन की व्यवस्था तथा यातायात से सम्बन्धित विभागों से प्रभावी सामंजस्य स्थापित करते हुए अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड को विकसित एवं प्रबंधन करने इत्यादि कार्यों के लिए श्री राज्यपाल महोदय Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस निगमित(Statutory body) प्राधिकरण में निम्नानुसार पदाधिकारियों को नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

- | | |
|--|--------------|
| 1- मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड | - अध्यक्ष |
| 2- मा० मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड | - उपाध्यक्ष |
| 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य सचिव |
| 4- सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |
| 5- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |
| 6- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |
| 7- सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |
| 8- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |
| 9- सचिव, शहरी विभाग, उत्तराखण्ड शासन | - सदस्य |

(2) श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) के नियंत्रण में एक कार्यकारी समिति के गठन की स्वीकृति के साथ ही उक्त कार्यकारी समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी नामित किए जाने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- | | |
|---|-----------|
| 1- मुख्य सचिव, | - अध्यक्ष |
| 2- सचिव, आवास | - सदस्य |
| 3- सचिव, शहरी विकास | - सदस्य |
| 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि० | - सदस्य |
| 5- वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मेट्रो, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि० | - सदस्य |


(अमित सिंह नेगी)
सचिव

1057
27-11-17

संख्या-(१७४/v-2-2017-06(आ०)/2016 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव-मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव-मा० आवास मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 5- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, देहरादून।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 8- समस्त पदाधिकारी/सदस्य, Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) एवं कार्यकारी समिति।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव